24–05–22

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा ।अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके तहसील छत्तरगढ़ के ग्राम राजासर भाटियान के गत् खसरा नम्बर 205 जिसके नये खसरा नम्बर 692 तादादी 43 बीघा भूमि अपीलांट् के पिता/दादा कालूसिंह पुत्र हरनाम सिंह के नाम दर्ज भूमि थी। उक्त भूमि पीरदान पुत्र ईशरराम जाति महाजन निवासी राजासर भाटियान से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई थी तथा खरीद की दिनांक से ही कालूसिंह परिवार सहित उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि का इंतकाल कालूसिंह के नाम से दिनांक 01–12–1971 से दर्ज चला आ रहा है। कालूसिंह के स्वर्गवास के उपरान्त अपीलांट्स जोकि कालूसिंह के जायज वारिसान है, मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट् जोकि वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है के विरूद्व दिनांक 29–12–2021 को एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गई।

उन्होनें आगे कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है, परन्तु अदालत मातहत द्वारा एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के उपरान्त आज दिनांक तक

उक्त धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर अपना अंतिम निर्णय आज दिनांक तक पारित नहीं करते हुए अपीलांट्स के हितों पर कुठाराधात किया जा रहा है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जबकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स के नाम दर्ज भूमि है। जिस पर अपीलांट्स अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को एक असिमित समय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में एक खातेदारों को उनके हक व हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश के कारण अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। चूंकि अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट् के पक्ष में साबित है। अतः अपीलांट्स का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–12–2021 की पालना स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत द्वारा दिनांक 29–12–2021 को जारी एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 225 आरटीए के तहत दिनांक 05–05–2022 को प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित करने की मांग की गई है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए आराजी जैर तहसील छत्तरगढ़ के ग्राम राजासर भाटियान के गत् खसरा नम्बर 205 जिसके नये खसरा नम्बर 692 तादादी 43 बीघा भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम करने के आदेश प्रदान करते हुए प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 09–02–2022 अभिनिर्धारित की गई व अप्रार्थीगणों को असालतन या वकालतन उपस्थित होते हुए अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किये जाने पर रेस्पोडेन्ट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलांट् द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश की पालना में उनके समक्ष उपस्थित आने व जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अदालत मातहत के समक्ष जैरकार प्रार्थना पत्र पर अंतिम निर्णय प्राप्त करने के बजाय न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित आते हुए उक्त एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने की मांग प्रस्तुत अपील के माध्यम से की गई है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम श्रेणी का आदेश है। जिस पर पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर अंतिम निर्णय होना शेष है। धारा 225 आरटीए में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि:–

An appeal shall lie from the final order passed on an application of the nature specified in the Third Schedule and from such other orders as are mentioned in section 212 of this Act.,

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 225 आरटीए के तहत अदालत मातहत द्वारा धारा 212 के तहत पारित अंतिम निर्णय की अपील के प्रावधान निहित है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा धारा 212 आरटीए पर अपना अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है लिहाजा प्रस्तुत अपील में गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित किये बिना अपीलांट् को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी नियत दिनांक को उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करें। अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से अदालत मातहत द्वारा जारी एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।